## न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

**पत्रावली संख्या : 18/2018 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)**

प्रेमचंद जैन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें भरतपुर जोन भरतपुर।

**आवेदक**

**बनाम**

1. मुकेश झा पुत्र श्री गणेश झा एफबीओ व मौके पर विक्रेता फर्म शिव डेयरी जी–1/88 रीको रोड इण्डस्ट्रीयल ऐरिया बयाना जिला भरतपुर निवासी सुभाष चौक बयाना जिला भरतपुर।
2. अशोक कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री मनोहरलाल गुप्ता जाति वैश्य एफबीओ व पार्टनर फर्म शिव डेयरी जी–1/88 रीको रोड इण्डस्ट्रीयल ऐरिया बयाना जिला भरतपुर निवासी गांधी चौक बयाना जिला भरतपुर।
3. राजेश कुमार सिंघल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास सिंघल जाति वैश्य एफबीओ व पार्टनर फर्म शिव डेयरी जी–1/88 रीको रोड इण्डस्ट्रीयल ऐरिया बयाना जिला भरतपुर निवासी वेयर हाउस रोड बयाना जिला भरतपुर।

**गैरसायल**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :– 1. गैरसायल स्वयं

**निर्णय**

दिनांक : 18.7.2018

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल प्रस्तुत किया गया है। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान नियत दिनांक 18.7.2018 को उपस्थिति आये। आवेदक को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु वह उपस्थित नहीं आये। इस्तगासा की नकल गैरसायलान को दिलाते हुये इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 10.10.2017 को प्रातः 11.30 ए0एम0 पर गैरसायल की फर्म शिव डेयरी जी–1/88 रीको रोड इण्डस्ट्रीयल ऐरिया बयाना का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आम जनता के इस्तेमाल के लिए विक्रय हेतु एल्यूमिनियम के पात्र में लगभग 100 लीटर मिश्रित दूध संग्रहित पाया, जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया । खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या

सत्यमेव जयते

एलएस–/1019/एक्ट/2017/1040 दिनांक 3.11.2017 द्वारा उक्त मिश्रित दूध का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर का मिश्रित दूध आम जनता को विक्रय कर उक्त अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि प्रार्थी की डेयरी पर दूध विक्रेताओं से प्राप्त कर दूध को संग्रहण कर विक्रय किया जाता है। गैरसायल के द्वारा कोई मिलावट अपने स्तर से नहीं की गई है। विक्रय किये जाने वाले दूध में अवमानक पाया गया है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए दूध विक्रेताओं से दूध प्राप्त करेगा। गैरसायलान की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 10.10.2017 को गैरसायल फर्म/डेयरी से आमजनता के विक्रय हेतु संग्रहित मिश्रित दूध का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस–/1019/एक्ट/2017/1040 दिनांक 3.11.2017 में अवमानक स्तर (Sub Standard) का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा स्वयं के स्तर पर दूध में कोई मिलावट नहीं करना तथा दूध विक्रेताओं से क्रय करना जाहिर किया है। उनके द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से दूध क्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। चूंकि गैरसायल की फर्म/डेयरी से मिश्रित दूध वक्त जांच निरीक्षण संग्रहित पाया गया है, जो गैरसायल द्वारा दूध विक्रेताओं से क्रय किया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 10,000/– रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायल के द्वारा जुर्माना राशि रसीद संख्या 000096 दिनांक 18.7.2018 से जमा राजकोष की गई। कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 18.7.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**न्याय निर्णायन अधिकारी एवं**
**अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,**
**भरतपुर**